न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या मुतफरिक 02/2018 (प्रार्थना पत्र)

1. श्री शम्भुलाल पिता मगनलाल कुमावत निवासी छापरिया भेरूजी के पास सीनियर सैकण्डरी स्कूल गर्ल्स स्कूल के पास कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्रीमती नारायणी पत्नी मगनलाल कुमावत निवासी छापरिया भेरूजी के पास सीनियर सैकण्डरी स्कूल गर्ल्स स्कूल के पास कांकरोली तहसील व जिल राजसमन्द (राज0)
3. श्री कैलाश पुत्री मगनलाल पत्नी गोपीलाल जी कुमावत निवासी मुखर्जी चौराह कुमावत मोहल्ला कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

..... प्रार्थी/अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री कमलेश पिता सुन्दरलाल कुमावत निवासी छापरिया भेरूजी के पास सीनियर सैकण्डरी स्कूल गर्ल्स स्कूल के पास कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्रीमती तुलसीबाई बेवा सुन्दरलाल कुमावत निवासी छापरिया भेरूजी के पास सीनियर सैकण्डरी स्कूल गर्ल्स स्कूल के पास कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी रामचन्द्र कुमावत पुत्री सुन्दरलाल निवासी छापरियात भेरूजी के पास सीनियर सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल के पास कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजसमन्द

..... विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट

मुत0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम–21
सपठित धारा–151 जाब्ता दीवानी एवं आदेश–41
नियम–20 जाब्ता दीवानी विरूद्ध आदेश भू–प्रबन्ध
अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी निर्णय
दिनांक दि0 11–9–2017 प्रकरण सं. 39/2014

———————————————

उपस्थित :—1— श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट्स

2— श्री श्री गोपाल आचार्य रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3

3— राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या—4

——————/——————

आदेश **दिनांक 09—10—2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस न्यायालय में अपील संख्या 39/2014 जो कि विपक्षी अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध पेश की गई थी उसमें रेस्पोन्डेन्ट मगनलाल की मृत्यु हो जाने के कारण उसके कायम मुकाम आवेदन अपीलान्ट विपक्षी द्वारा प्रार्थी संख्या—1 व 2 को बनाने का पेश किया। उक्त कायम मुकाम आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1—8—2017 को स्वीकार किया गया तथा कायम मुकाम प्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। प्रकरण में प्रार्थी संख्या—1 व 2 कायम मुकाम के अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय द्वारा अपीलान्ट विपक्षी की अपील स्वीकार कर दिनांक 11—9—2017 को अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 103/1986 का निर्णय दिनांक 11—8—1087 को अपास्त करते हुए निर्णय पारित कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 11—9—2017 के सन्दर्भ में अपीलान्ट प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 9—3—2018 को पेश कर उनके विरूद्ध एक—तरफा अपील निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा—5 जाब्ता मयाद का आवेदन भी पेश किया तथा निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट मगनलाल की पुत्री प्रार्थी संख्या—3 को कायम मुकाम बनाये बिना आवेदन पेश किया गया है। प्रकरण में हम प्रार्थीगणें के आवेदन में यही मेरिट पाते है कि मूल अपीलान्ट विपक्षी द्वारा प्रार्थी संख्या—3 को कायम मुकाम बनाने के अपने उत्तरदायित्व में विधिक कोताही की है तथा इस न्यायालय की अपील संख्या 39/2014 में प्रार्थिया संख्या—3 को सुने बिना व सूचित किये बिना निर्णय पारित किया गया है। अतएव हम न्यायहित में मयाद कण्डोन करना उचित समझते है। आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी

किये जाने पर विपक्षी संख्या– 1 से 3 की और से अधिवक्ता श्री गोपाल आर्चाय उपस्थित हुए। विपक्षी संख्या–4 सरकार की और से औपचारिक पक्षकार के रूप मं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

इस न्यायालय की मूल अपील पत्रावली संख्या 39/2014 तलब की जाकर बहस आवेदन सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा इस न्यायालय के एक–तरफा निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता विपक्षी द्वारा इस न्यायालय के पूर्व को सही बताते हुए अपील आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रार्थी के प्रमुख उजर यह है कि उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है, तामिल फर्जी व विधि विरूद्ध है, पता गलत लिखा गया है। पंजीकृत डाक की तामिल उप–धारणा आधार पर निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी संख्या–3 को कायम मुकाम ही नहीं बनाया गया तथा उसे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।

प्रकरण में हमारे द्वारा मूल अपील पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट विपक्षी का विधिक उत्तरदायित्व था कि वह रेस्पोन्डेन्ट मगनलाल के सभी वारिसान को कायम मुकाम बनाते, परन्तु उनके द्वारा प्रकरण में प्रार्थिया संख्या–3 मगनलाल की पुत्री कैलाश को पक्षकार ही नहीं बनाया, जो उनका विधिक उत्तरदायित्व में कोताही है। उक्त कायम मुकाम नहीं बनने के कारण प्रार्थियां संख्या–3 को कायम मुकाम नहीं बनाया जा सका एवं इसी कारण इस न्यायालय का निर्णय अन्तर्गत अपील संख्या 39/2014 प्रार्थिया संख्या–3 की अनुपस्थिति में पारित किया गया निर्णय है जो उसे सूचित किये बिना व सुने बिना पारित किया गया निर्णय है।

विपक्षी द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार 4 न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की है :–

1. R R D 1993 Page 232
2. R R D 1990 (1) Page 689
3. D N J 2015 (2) Page 657
4. R R D 2009 Page 636

उपरोक्त न्यायिक नजीरे इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में अपीलान्ट विपक्षी द्वारा अपने विधिक दायित्व के निर्वहन में कोताही कर प्रार्थिया संख्या–3 को पक्षकार कायम मुकाम नहीं बनाया है। जबकि अपीलान्ट के रूप में उसका उत्तरदायित्व था कि वह मगनलाल रेस्पोन्डेन्ट के सभी विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लाते। प्रार्थिया संख्या–3 के विरूद्ध इस न्यायालय का अपील संख्या 39/2014 में पारित निर्णय उसे सुने बिना व सूचित किये बिना पारित निर्णय है। अतएव इस न्यायालय का अपील संख्या 39/2014 में पारित निर्णय दिनांक 11–9–2017 जो कि प्रार्थिया संख्या–3 की विधिक सुनवाई बिना पारित निर्णय है। अतएव अपील संख्या 39/2014 में पारित इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 11–9–2017 अपास्त किया जाता है तथा अपील संख्या 39/2014 को पुनः दर्ज की जाय तथा अपीलान्ट विपक्षी उक्त प्रकरण में प्रार्थिया संख्या–3 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/3 संस्थित करते हुए संशोधित अपील शीर्षक पेश करें। मूल अपील संख्या 39/2014 नंबर पर ली जाकर वास्ते सुनवाई उभयपक्ष दिनांक 2–11–2018 को कैम्प राजसमन्द पर पेश हो। यह मुतफरिक प्रार्थना पत्र फैसल शुंमार होकर मूल अपील के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 9–10–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर